उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

(जिला समाज कल्याण शाखा)

अनुबंध पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या – 02/2022

केन्द्र प्रायोजित "बाल संरक्षण सेवाऐं" के अन्तर्गत जिला स्तरीय पदों पर विभागीय संकल्प संख्या 1836, दिनांक 20.07.2016 एवं अधिसूचना संख्या 1835, 1836 दिनांक 20.07.2016, अधिसूचना संख्या 3761, दिनांक 14.09.2017, संकल्प संख्या 1937, दिनांक 16.07.18 तथा पत्रांक 574, दिनांक 23.07.18 के आलोक में जिला स्तरीय सहायक–सह–डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (DCPS-09) के रिक्त पद पर एक वर्ष के लिए अनुबंध पर नियुक्ति हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किया जाता है।

उक्त पदों पर अर्हताधारी उम्मीदवार आवेदन ऑनलाईन JAP IT के वेबसाईट http://recruitment.jharkhand.gov.in/ से Download कर सकेंगे। साथ ही पदों के अनुरूप मांगे गये सभी Documents को भी आवेदन के साथ Scan कर उपर्युक्त वर्णित JAP IT के वेबसाईट पर समर्पित करेंगे। अन्य माध्यमों से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

1. **देवघर जिला में बाल संरक्षण सेवाऐं के अन्तर्गत अनुबंध पर नियुक्ति हेतु सृजित पदों के विरूद्ध रिक्ति निम्नवत है :–**

क्र0	पद का नाम	कुल रिक्त पद	अनारक्षित	पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अनु0 जा0	अनु0 ज0 जा0
1	सहायक–सह–डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (DCPS-09)	01	01	0	0	0	0

2. **उपर्युक्त क्रमांक 01 में अंकित पदों का मानदेय, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें निम्न प्रकार है : –**

क्र0	पद का नाम	रिक्ति	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	कार्यानुभव	प्रतिमाह संविदा भत्ता
1	सहायक–सह–डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (DCPS-09)	01	21–35 वर्ष (01.08. 2022 के आधार पर)	किसी भी संकाय में स्नातक उत्तीर्ण। कम्प्यूटर दक्षता एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी में टंकण। हिन्दी – 30 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी – 35 शब्द प्रति मिनट। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0सी0ए0 /एम0सी0ए0 अतिरिक्त योग्यता होगी।	सरकारी संस्थान, लोक उपक्रम, मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 03 वर्ष का कम्प्यूटर कार्य/कार्यालय कार्य का अनुभव।	10000.00 प्रति माह एकमुस्त

3. **उक्त पदों पर अनुबंध पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित शर्तें है : –**

(क). उपर्युक्त सभी अराजपत्रित पद है तथा नियमित पद नहीं है। ये पद किसी भी स्तर में संवर्ग के नहीं होंगे अर्थात इनमें कोई भी पद जिला स्तरीय संवर्ग का न होकर संवर्ग अवधारण से स्वतंत्र होगा। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार/विभाग पर कोई दायित्व नहीं होगा। इन पदों पर की गई सभी अनुबांधिक नियुक्तियाँ शुद्ध रूप से तदर्थ होगी एवं नियुक्त व्यक्तियों को प्रथमतः एक वर्ष के लिए रखा जायेगा तथा उनके कार्यकलाप का मूल्यांकन कर उनकी सेवा को विस्तारित करने अथवा नहीं करने के बिन्दु पर केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्णय लिया जायेगा। उक्त नियुक्ति प्रथमतः 03 वर्षो के लिए की जायेगी, जिसे अधिकतम 05 वर्षो तक के लिए कर्मियों के व्यक्तिगत कार्य मूल्यांकन के आधार पर विस्तारित किया जा सकेगा। 05 (पाँच) वर्षो के उपरांत यदि ऐसी नियुक्तियों की आवश्यकता है तो संदर्भाधीन पदों पर नियुक्ति हेतु नये सिरे से नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

(ख) संविदा पर आधार पर नियुक्ति का नियम 3 (क) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(ग) संविदा आधारित पदों के नियुक्ति में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित आरक्षण / रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

(घ) यदि कोई कार्यरत कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नही हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत कर्मी की सेवा समाप्त कर सकते हैं। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकती है।

(च) संविदा पर नियुक्त कर्मियों को एक कैलेण्डर वर्ष में राज्य कर्मियों के अनुरूप आकस्मिक अवकाश देय होगा, परंतु वे अन्य किसी अवकाश के हकदार नहीं होंगे।

(छ) स्थानीय नीति से संबंधित विभागीय निर्देश के आलोक में नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित होगी।

(ज) विज्ञापन की शर्तो एवं रिक्ति को घटाने / बढ़ाने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पासुरक्षित होगा।

(झ) आवेदन पत्र के साथ हाल का पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो, जाति प्रमाण-पत्र, नियोजन हेतु निवासी प्रमाण-पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ट) विज्ञापन के साथ प्रकाशित विहित प्रपत्र में ही आवेदक आवेदन देंगे।

(ठ) उपर्युक्त सभी पद के लिए उपायुक्त, देवघर नियुक्ति प्राधिकार होंगे।

(ड) प्रत्येक स्तर पर यथा – प्रारंभिक मेधा सूची, अंतिम मेधा सूची एवं प्रतीक्षा सूची में चयनित कर्मियों के नाम सूचना पट्ट, स्थानीय समाचार पत्र एवं जिला स्तरीय वेबसाईट ***https://deoghar.nic.in/*** पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

4. <u>नियुक्ति की प्रक्रिया</u>

(क) योग्य व्यक्ति के चयन के लिए अभ्यर्थियों की प्रारंभिक मेघा सूची, अंतिम मेधा सूची तैयार करने के लिए उपायुक्त, देवघर की अध्यक्षता में नियुक्ति समिति का गठन निम्नवत किया गया है –

1. उपायुक्त, देवघर – अध्यक्ष
2. उप विकास आयुक्त, देवघर – सदस्य
3. जिले में अनुसूचित जाति / जन जाति के कार्यरत एवं मनोनीत पदाधिकारी – सदस्य
4. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर – सदस्य सचिव।

(ख) योग्यता स्कोर निर्धारित करने की प्रक्रिया –

1. अनिवार्य योग्यता के प्राप्तांक के प्रतिशत का 60 प्रतिशत अर्थात अधिकतम अंक	– 60
2. अतिरिक्त योग्यता के प्राप्तांक के प्रतिशत का 20 प्रतिशत अर्थात अधिकतम अंक	– 20
3. अनुभव – प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक अधिकतम 20 अंक	– 20
कुल अधिकतम अंक	**– 100**

4. एम.बी.ए. / एम.सी.ए. के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर गणना किया जायेगा।
5. एक से अधिक अतिरिक्त योग्यता के मामले में वैसे अतिरिक्त योग्यता के प्राप्तांक की मान्यता दी जायेगी, जिसका प्राप्तांक अधिक होगा।
6. दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के कुल योग्यता स्कोर अर्थात मेघा सूची में टाई (Tie) होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी तथा जन्म तिथि एक रहने की स्थिति में नामों के प्रारंभिक अक्षर के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी।

5. <u>आवेदन की प्रक्रिया : –</u>

(1) आवेदन पत्र मात्र विहित प्रपत्र में ही स्वीकार किये जायेंगे। विहित प्रपत्र से अलग रूप में समर्पित आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। आवेदन हेतु विहित प्रपत्र जिले के वेबसाईट ***https://recruitment.jharkhand.gov.in/*** से Download करेंगे। Download किये गये आवेदन को भर कर

01/10/2021

Scan करने के उपरांत **Scan** किये गये आवेदन एवं निम्न प्रमाण पत्रों की छाया प्रति को ***https://recruitment.jharkhand.gov.in/*** पर Upload करेंगे।

(2) इच्छुक उम्मीदवार विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र निम्न प्रमाण पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ समर्पित करेंगे :–

(क) मैट्रिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।

(ख) इन्टर अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।

(ग) स्नातक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।

(घ) स्नातकोत्तर अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।

(च) अतिरिक्त योग्यता संबंधी अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।

(छ) सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए निर्गत स्थानीयता प्रमाण पत्र।

(ज) सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र।

(झ) अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र।

(ट) कम्प्यूटर एवं टाईपिंग दक्षता संबंधी प्रमाण पत्र।

अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 12 नवम्बर 22 है।

नियुक्ति संबंधी निर्गत सूचना को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड के वेबसाईट ***https://recruitment.jharkhand.gov.in/***, देवघर जिला के पोर्टल ***https://deoghar.nic.in/***, एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रकाशित किया जायेगा।

01/10/2022
उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1467/स0क0, देवघर दिनांक 10 वीं ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2022 ई0।

प्रतिलिपि : – जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : – जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना से संबंधित दिशा–निर्देश, प्रपत्र एवं अन्य सभी सूचनाएँ देवघर जिला के बेवसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : – मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, JAP-IT, राँची को सूचनार्थ एवं प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : – निदेशक, समाज कल्याण, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : – सरकार के सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

01/10/2022
उपायुक्त,
देवघर।

APPLICATION FORM FOR RECRUITMENT UNDER INTEGRATED CHILD PROTECTION SCHEME

Passport Size Photograph

1. Post Code
2. Application for the Post of ....
3. District Applied for .... (In case of district level post)
4. Name of the Applicant :
5. Father's/ Mother's /Husband's Name :
6. Date of Birth (DD/MM/YYYY) :
7. Sex (Please tick appropriate box: : M F
8. Email ID :
9. Nationality :
10. Marital Stutus :
11. Address for Communication with Pin Code :

City/ Town :

District : in Code

Sate :

12. Permanent Address for with Pin Code :

City/ Town :

District : in Code

Sate :

13. Educational Qualification :

Examination Passed	Name of Board/University	Year of Passing	Percentage of Marks	Grade/ Division

14. Professional/ any other Qualification :

Examination Passed	Name of Board/University	Year of Passing	Percentage of Marks	Grade/ Division

15. Work Experience :

Sl. No.	Name of Organization	From	To	No. of Years	Nature of Work

16. Whether presently serving in any Government/ Undertaking : ....

17. Enclosures : Photo Copy of Documents/Certificates related to Educational Qualification, Professional/Other Qualification, Age, Work Experience, Caste Certificate, Residential Certificate, any photo Identity Card (Aadhar, Driving License, PAN etc.)

Declaration

Certify that above mentioned information are true, and if found to be false, Jharkhand State Child Protection Society may cancel my candidature at any stage of selection process at its sole discretion.

Note : Candidature is provisional. All candidates are directed to bring their original certificates for verification at the time when asked for by recruiting authority, failing which your candidature will not be considered.

Date :

Place : (Signature of the Candidate)